

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-28042020-219202
SG-DL-E-28042020-219202

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2020/वैशाख 3, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 06
No. 73]	DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2020/VAISAKHA 3, 1942	[N.C.T.D. No. 06

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

[कार्यालय उपायुक्त पुलिस: यातायात (आधुनिकीकरण) दिल्ली]

(दिल्ली यातायात पुलिस मुख्यालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 21 अप्रैल, 2020

सं.फा. 20/4/2003/गृ.पु.-II-866.—जबकि, माता दीन यादव रोड पर यातायात की सघनता के कारण यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है और इससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा उत्पन्न हो रही है;

और जबकि, यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने और वाहन चालकों एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए माता दीन यादव रोड पर यातायात के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए यह करना आवश्यक है;

अतः मैं, सत्यवान गौतम, उपायुक्त पुलिस, यातायात (आधुनिकीकरण), दिल्ली, दिल्ली में सड़कों

व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 1980 की धारा 21 जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए अगले आदेश तक, एतद्वारा माता दीन यादव रोड पर निम्न प्रकार से प्रतिदिन सभी प्रकार के वाहनों के लिए एकतरफा मार्ग घोषित करता हूँ : —

1.	कापसहेड़ा चौक से रजोकरी क्रॉसिंग तक	प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक
2.	रजोकरी क्रॉसिंग से कापसहेड़ा चौक तक	सांय 5.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों व थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी ।

संबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट पर प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाएंगे ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 21/04/2020 को जारी किया गया ।

सत्यवान गौतम, उपायुक्त पुलिस यातायात (आधुनिकीकरण) : दिल्ली

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

[OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE: TRAFFIC (MOD.): DELHI]

(DELHI TRAFFIC POLICE HDQRS.)

NOTIFICATION

Delhi, the 21st April, 2020

F. No. 20/4/2003/HP-II-866.—Whereas, heavy flow of traffic is causing obstruction in smooth flow of traffic and inconvenience to other road users on Mata Deen Yadav Road;

And whereas, it is necessary to regulate the movement of traffic on Mata Deen Yadav Road to ensure smooth flow of traffic and for convenience and safety of motorists and other road users;

Now, therefore, I, Satyawan Gautam, Deputy Commissioner of Police/Traffic (Modernization), Delhi in exercise of the powers, conferred upon me under Regulation 21 of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Street Regulations, 1980 do hereby declare 'One Way' traffic movement on Mata Deen Yadav Road for all type of vehicles, everyday, till further orders as per the following pattern:-

1.	From Kapashera Chowk to Rajokari Crossing	8.00 AM to 11.00 AM
2.	From Rajokari Crossing to Kapashera Chowk	5.00 PM to 10.00 PM

This order shall be published for the information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi/New Delhi.

The concerned civic road agencies maintaining the roads/areas shall erect the corresponding informatory signboards indicating the restrictions in the area for the guidance and convenience of all concerned.

This order shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of this office on 21/04/2020.

SATYAWAN GAUTAM, Dy. Commissioner of Police Traffic (Mod.), Delhi